

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(भूमि अर्जन अनुभाग)

आई.एस.ओ. 9001:2000 प्रमाणित संस्था

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

Website: <http://www.upavp.com> E-mail: upavp@sancharnet.in



पत्र संख्या: 2489/एल0ए0सी0/एच0क्यू0

दिनांक: 12.01.2009

नोटिस

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-1, 1966) की धारा-28 के अन्तर्गत नोटिस।

कानपुर नगर की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा कानपुर से दिल्ली को जाने वाली जी0टी0 रोड के समानान्तर स्थित कानपुर नगर से फर्रुखाबाद को जाने वाली रेलवे लाइन के बायी ओर "मन्थना भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-4, कानपुर नगर" बनायी गयी है। इस योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्नवत है :-

उत्तर : खसरा संख्या- 39 भाग, 41, 45 भाग, 82 भाग, 80 भाग, 69 भाग, 70, 71, 76 भाग, 78 भाग, 77 भाग, 185, 188, 189, 191, 192, 194, 195, 198, ग्राम बिरतियान बिठूर परगना व तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर नगर व खसरा संख्या 850, 857, 860, 859, 860, 862, 875, 876, 877, 879, 882, ग्राम बगदौधी बांगर परगना व तहसील व जिला कानपुर तथा कानपुर से फर्रुखाबाद को जाने वाली रेलवे लाइन तथा खसरा सं0 1, 2, 5, 8, 9, 10, 9, 12, 13 भाग, 18 भाग, 35 भाग, 39, 41 भाग, 44, 46, 47 भाग, 146 भाग, 2, 1, ग्राम-परगही बांगर, परगना व तहसील तथा जिला-कानपुर व कानपुर से फर्रुखाबाद को जाने वाली रेलवे लाइन।

पूरब : खसरा संख्या- 1155 भाग, 1157 भाग, 1161 भाग, 1162 भाग, 1163 भाग, 1169 भाग, ग्राम-बगदौधी कछार, परगना व तहसील व जिला-कानपुर।

दक्षिण : खसरा संख्या- 1169 भाग, 1170 भाग, 1171 भाग, 1137 भाग, 1172, 1136 भाग, 1134 भाग, 1173 भाग, 1133 भाग, 1131 भाग, 1130 भाग, 1126 भाग, 1125 भाग, 1123 भाग, 1122 भाग, 1121 भाग, 1117 भाग, 1094 भाग, 1093 भाग, ग्राम बगदौधी कछार परगना व तहसील व जिला कानपुर व खसरा सं0 179 भाग, 180 भाग, 176 भाग, 185 भाग, 187 भाग, 125 भाग, 118 भाग, 109 भाग, 78 भाग, 77 भाग, 82 भाग, 85 भाग, 86 भाग, ग्राम परगही बांगर परगना व तहसील व जिला कानपुर तथा खसरा सं0 961, 962, 965, 966, 1012, 1013, 1014, 1016, 1017, 1018, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1055 (नहर) ग्राम-पेम, परगना व तहसील-बिल्हौर, जिला-कानपुर नगर।

पश्चिम : खसरा संख्या- 734, 735, 736, 739, 740, 749, 748, 758, 756, 726 भाग, 725 भाग, 724 भाग, 721, 722, 723, 767, 768, 715 भाग, 702, 703, 700, 701 भाग, 686 भाग, 679 भाग, 680 भाग, 558, 555, 552, 553 भाग, 548 भाग, 560 भाग, 561 भाग, 562 भाग, 563 भाग, 564 भाग, 565 भाग, 568 भाग, 392 भाग, 389 भाग, ग्राम पेम परगना व तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर नगर व खसरा सं0 377 भाग, 386 भाग, 384 भाग, 382 भाग, 292 भाग, 293 भाग, 296, 297 भाग, 298 भाग, 156 भाग, 154 भाग, 161/401 भाग, 153, 161/400 भाग, 160 भाग, 115, 113, 112, 110, 106, 104, 103, 93, 39, ग्राम बिरतियान बिठूर, परगना व तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर नगर।

यह भी घोषणा की जाती है कि जब परिषद की राय में उपरोक्त योजना के निष्पादन से योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी की भूमि जो उसके निष्पादन के लिए अपेक्षित न होगी, का मूल्य बढ़ जायेगा, तो योजना के निष्पादन के फलस्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्धि होने के संबंध में भू-स्वामी अथवा उसमें स्वत्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा "असुधार शुल्क" उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 के प्राविधानों के अनुसार देय होगा।

उपरोक्त योजना क्षेत्र का नक्शा, योजना का विवरण तथा अर्जित की जाने वाली भूमि का ब्यौरा कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नि0ख0-17 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स, प्रथम तल योजना सं0-1 केशवपुरम कल्यानपुर, कानपुर में किसी भी कार्य दिवस को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

इस नोटिस के उ0प्र0 सरकारी गजट में प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर इस योजना के सम्बन्ध में आपत्तियां, कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स प्रथम तल योजना संख्या-1 केशवपुरम, कल्यानपुर, कानपुर में प्राप्त की जायेगी। प्रेषित आपत्तियों में योजना का सही नाम आपत्तिकर्ता का नाम, योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन का पूर्ण विवरण तथा ग्राम का नाम व खसरा संख्या/क्षेत्रफल व अन्य विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए।

दीपक कुमार
आवास आयुक्त